न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1. श्री करमी पुत्र माला जी, जाति- कोली, निवासी- दौलपुरा, तहसील- रेवदर
2. श्री तारा पुत्र माला जी, जाति- कोली, निवासी- दौलपुरा, तहसील- रेवदर

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 19/2017

''अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अपीलार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही), प्रत्यर्थी की ओर से

-ः निर्णय :- दिनांक 22 दिसम्बर, 2017

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 15/2017 में पारित निर्णय दिनांक 24.10.2017 बाबत ग्राम दौलपुरा के खसरा संख्या 440 रकबा 0.05 बीघा किस्म पाल भूमि का अपीलार्थीगण को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही किया है एवं न ही अपीलार्थी को विवादित भूमि के मौके से पूर्व में भौतिक रुप से बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अपीलार्थीगण का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हुये बिना ही सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किये है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि अपीलार्थीगण ने विवादित भूमि के मौके पर से कब्जा हटा लिया है, इसलिये अपीलार्थीगण के विरुद्ध सिविल कारावास की सजा के पारित आदेश को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया हल्का पटवारी, दौलपुरा द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध संवत् 2074 में ग्राम दौलपुरा के खसरा संख्या 440 रकबा 0.05 बीघा किस्म पाल भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात् बाद जांच प्रकरण में अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि हल्का पटवारी, दौलपुरा द्वारा अपीलर्थीगण के विरुद्ध संवत 2074 में ग्राम दौलपुरा के खसरा संख्या 440 रकबा 0.05 बीघा किस्म पाल भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया, लेकिन नोटिस तामिल होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण उपस्थित नही हुये। अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में बचाव में कोई लिखित जवाब भी प्रस्तुत नही हुआ। जबकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन से अपीलार्थीगण का विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होता है।

चूंकि अपीलार्थी पक्ष का यह तर्क है कि ''अपीलार्थीगण ने विवादित भूमि से कब्जा हटा लिया है।'' इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के मौके की रिपोर्ट तलब किये जाने पर नायब तहसीलदार, रेवदर के पत्र क्रमांक/ना.तहसीलदार कोर्ट/2017/76 दिनांक 21.12.2017 के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थीगण का मौके से कब्जा हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण के विरुद्ध नरमाई का रुख अपनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध सिविल कारावास की सजा के पारित आदेश को निरस्त किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.10.2017 बाबत विवादित भूमि से बेदखल एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश को यथावत बहाल रखते हुए सिविल कारावास की सजा के आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही